न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/7250/2006/चित्तौड़गढ़

बजेराम पिता श्री रूपाजी चमार निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

....अपीलार्थी

बनाम

1– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील निम्बाहेड़ा।

2– चेना पिता हरजी रावत मृतक के कायम मुकामः–

2/1 नाथू पिता श्री चैना रावत निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा जिला।

2/2 भगवाना पिता श्री चेनाजी रावत निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा।

2/3 भूरा पिता श्री चैना रावत निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा।

2/4 पूरणमल पिता श्री चेना रावत निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री के0के0पुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्रीमति पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0 2/1 से 2/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित,
जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

––

निर्णय

दिनांक 06–02–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा के न्यायालय में अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत दिनांक 24–05–1978 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है एवं प्रत्यर्थी सं0 2 चेना अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, को ग्राम साजनपुर में स्थित अपने खातेदारी की भूमि खसरा नं0 96/1 क्षैत्रफल 5 बीघा का करीब 2 वर्ष पूर्व 4,000/– रू0 में हस्तातंरण कर कब्जा दे दिया है, जो अधिनियम की धारा 42 व 43 का उल्लंघन है, इसलिए इस भूमि का कब्जा प्रत्यर्थी को दिलवाया जावें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 2 को तलब किया, जिनके अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रत्यर्थी सं0 1 की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–12–1982 द्वारा प्रा0 पत्र को स्वीकार कर भूमि को बिलानाम घोषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2006 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– सर्वप्रथम हमने भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रा0 पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थनापत्र व शपथपत्र पर विश्वास करते हुए हम भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थनापत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है, अतः प्रा0 पत्र को स्वीकार कर द्वितीय अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

4– तत्पश्चात् हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस गुणावगुण पर सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय, विधि विपरत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की है तथा उक्त निर्णय व डिक्री को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बहाल रखने में विधिक त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 175 में वर्णित शर्तो की पूर्ति नहीं होती है। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर विधिवत् नोटिस की तामील करवाए बिना व समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय रूप से प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

5– योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, ऐसी स्थिति में विचारण

न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय प्रदान किया, जो उचित एवं विधिसम्मत है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है, अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– वर्तमान प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वाद अधिनियम की धारा 175 के तहत इस आधार पर लाया गया कि अपीलार्थी जो कि अनुसूचित जाति (चमार) का व्यक्ति है, ने अपनी खातेदारी की भूमि प्रत्यर्थी सं0 2 (रावत) को अधिनियम की धारा 42 की अवहेलना करते हुए हस्तातनांतरित की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित भूमि का हस्तानांतरण अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जाति के व्यक्तियों के बीच 4000/– रू0 में होना सिद्ध पाया है। हमारे समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य अथवा तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उक्त हस्तानांतरण नहीं किया जाना सिद्ध हो। क्योंकि खातेदार कृषक द्वारा भूमि का बेचान सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का वाद स्वीकार करने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में उस समय तक हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है जब तक यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत न हो। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं होती, जिसके

आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत माना जा सके। अतः यह द्वितीय अपील खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा) (शिखर अग्रवाल)

सदस्य सदस्य